चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति

CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

संख्याः ई–4036/जी0एस0

दिनांक : 10 मई, 2025 जून

आदेश

1. प्रत्यावेदिका डॉ0 मीनू शर्मा, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग, इस्माईल नेशनल महिला पी0जी0 कॉलेज, मेरठ (आगे 'महाविद्यालय') द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट ए संख्या–13286 ऑफ 2023, मीनू शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2023 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (आगे 'अधिनियम') की धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (आगे 'विश्वविद्यालय') द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 16.06.2023 को निरस्त किये जाने, स्वयं को विपक्षी डॉ0 स्वर्णा से वरिष्ठ घोषित किये जाने एवं परिनियमानुसार वरिष्ठता–सूची संशोधित कराये जाने की याचना की गयी है।

2(क). प्रत्यावेदिका का मुख्यतः कथन यह है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज के विज्ञापन संख्या–47 के कम में निर्गत चयन परिणाम सूची दिनांक 13.11.2019 के माध्यम से महाविद्यालय में प्रत्यावेदिका का चयन अनारक्षित श्रेणी में योग्यता सूची के कमांक–12 पर एवं डॉ0 स्वर्णा, विपक्षी का चयन अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में योग्यता सूची के कमांक–104 पर सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) के पद पर हुआ था। निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्रत्यावेदिका की महाविद्यालय में नियुक्ति की संस्तुति की गयी थी, जिसमें प्रत्यावेदिका की मेरिट सूची योग्यता कमांक–12 तथा विपक्षी के नियुक्ति आदेश में मेरिट सूची योग्यता कमांक–104 स्पष्ट रूप से अंकित था। महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा प्रत्यावेदिका व विपक्षी को महाविद्यालय में अंग्रेजी विषय के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हुये दिनांक 03.03.2020 को कार्यभार ग्रहण कराया गया था। शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्रादेश दिनांक 05.03.2020 के द्वारा महाविद्यालयों के प्रबंधक/प्राचार्य को विज्ञाप्न संख्या–47 के माध्यम से अंग्रेजी और अन्य कुछ विषयों

में चयनित अभ्यर्थियों को संयुक्त निदेशक से प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने व वेतनादि भुगतान करने के निर्देश दिये गये, जो प्रत्यावेदिका व विपक्षी दोनों पर लागू थे। महाविद्यालय द्वारा शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेश दिनांक 05.03.2020 के अनुपालन में प्रत्यावेदिका को दिनांक 14.03.2020 को दुबारा कार्यभार ग्रहण कराया गया किन्तु विपक्षी डॉ0 स्वर्णा को नहीं। उक्त कार्यवाही प्रत्यावेदिका और विपक्षी डॉ0 स्वर्णा पर समान रूप से लागू नहीं की गयी है।

2(ख). प्रत्यावेदिका के कथनानुसार, महाविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदिका से आपत्ति आमंत्रित किए बिना वरिष्ठता सूची दिनांक 28.04.2022 तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी गयी, जिसमें प्रत्यावेदिका से विपक्षी डॉ0 स्वर्णा को वरिष्ठ रखा गया है, जो परिनियम 18.13(1) के विरूद्ध है। प्रत्यावेदिका द्वारा विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 1977 के परिनियम 18.14 के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची के विरूद्ध प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 27.06.2022 एवं तद्विषयक अनुस्मरण पत्र दिनांक 22.08.2022, 22.09.2022 एवं 07.11.2022 पर महाविद्यालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

2(ग). विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2023 को अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित करते हुये 07 कार्य दिवसों के भीतर शिक्षकों से आपत्तियॉ आमंत्रित की गयीं। तत्क्रम में प्रत्यावेदिका द्वारा उक्त अस्थायी वरिष्ठता पर अपनी आपत्ति पत्र दिनांक 02.02.2023 एवं 10.02.2023 द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने पर कुलसचिव द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 द्वारा विपक्षी डॉ0 स्वर्णा को प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ घोषित कर दिया गया। प्रत्यावेदिका को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये हुये ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 जारी किया गया है, जिसमें कोई कारण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रत्यावेदिका द्वारा उक्त आदेश दिनांक 16.06.2023 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–13286/2023 योजित की गयी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.10.2023 पारित करते हुये प्रत्यावेदिका को

कुलाधिपति के समक्ष अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2(घ). डॉ0 मनोज कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर के वरिष्ठता प्रकरण में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा पारित लघु आदेश को विधि की दृष्टि से ग्राह्य न होने के आधार पर कुलाधिपति के आदेश दिनांक 02.07.2020 द्वारा निरस्त करते हुये, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2000 के परिनियम 17.14(1) के अनुसार वरिष्ठता विवाद का निस्तारण एक सकारण आदेश के माध्यम से किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

3. विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) का मुख्यतः कथन यह है कि उसकी कार्यभार ग्रहण की तिथि दिनांक 03.03.2020 है और प्रत्यावेदिका (डॉ0 मीनू शर्मा) की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 14.03.2020 है। प्रत्यावेदिका ने कार्यभार ग्रहण की तिथि से ही वेतन प्राप्त किया है और इसी तिथि से उनकी सेवा–पुस्तिका बनी है और इसी तिथि से उपस्थिति रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर दर्ज है। प्रत्यावेदिका ने दिनांक 14.03.2020 से पूर्व का कोई भी साक्ष्य/प्रमाण–पत्र नहीं लगाया है तथा प्रत्यावेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विधिक रूप से मान्य नहीं है। निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के आदेश दिनांक 05.03.2020 के अनुपालन में प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 14.03.2020 को कार्यभार ग्रहण किया गया, जबकि विपक्षी की नियुक्ति दिनांक 03.03.2020 को हो गयी थी, ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा निदेशालय का आदेश दिनांक 05.03.2020, जो कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता था और न ही उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) को कोई नोटिस दिया गया था। प्रत्यावेदिका द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक 14.03.2020 (स्वहस्ताक्षरित व स्वलिखित) खुद दर्शाया गया है और इससे पहले उसने महाविद्यालय में कोई सेवा नहीं दी है और इसके संदर्भ में उसने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं की है। महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की

बैठक दिनांक 14.07.2021 में अंग्रेजी विभाग की शिक्षिकाओं (डॉ0 स्वर्णा व डॉ0 मीनू शर्मा) की संतोषजनक सेवा के फलस्वरूप क्रमशः दिनांक 03.03.2020 एवं दिनांक 14.03.2020 से स्थायीकरण किया गया था, जिस पर विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) व प्रत्यावेदिका (डॉ0 मीनू शर्मा) के हस्ताक्षर भी दर्ज है। तत्समय प्रत्यावेदिका द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के विषय में कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करायी गयी है। विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 1997 की धारा 18.10(सी) एवं (डी) के अनुसार विपक्षी, प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ है।

4. विपक्षी प्राचार्या एवं सचिव के कथन एक समान हैं, जिनमें मुख्यतः यह उल्लेख है कि प्रत्यावेदिका ने उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा निर्गत चयन परिणाम सूची दिनांक 13.11.2019 के आधार पर महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में दिनांक 14.03.2020 को पदभार ग्रहण किया था। प्रत्यावेदिका ने निरन्तर अपनी नियुक्ति तिथि व योगदान तिथि दिनांक 14.03.2020 स्वीकार की है। प्रत्यावेदिका ने दिनांक 14.03.2020 से ही महाविद्यालय की उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर किये हैं तथा उक्त तिथि से ही वेतन भी प्राप्त किया है। कार्यभार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्यावेदिका ने दिनांक 17.03.2020 को प्रस्तुत अपने हस्तलेख में ही प्रार्थना पत्र दिया था। तत्क्रम में दिनांक 17.03.2020 को ही प्रमाण–पत्र जारी किया गया था, जिसमें नियुक्ति तिथि 14.03.2020 ही लेखबद्ध है। प्रत्यावेदिका ने अपने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2020 व 31.08.2020 के माध्यम से कार्यभार प्रमाण पत्र की मांग की तथा उसमें स्वयं अपनी कार्यभार ग्रहण की तिथि दिनांक 14.3.2020 ही लेखबद्ध की है। सेवा पुस्तिका में भी प्रत्यावेदिका ने स्वयं अपनी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 14.03.2020 ही लेखबद्ध की है और अनुप्रमाणित करके प्रत्यावेदिका द्वारा हस्ताक्षरित की गयी है। महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 14.07.2021 में भी प्रत्यावेदिका उपस्थित रही है और एक वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उनके स्थायीकरण के संबंध में पारित प्रस्ताव पर उन्होंने उपस्थित होकर बैठक की कार्यवाही पर उपरोक्त सभी

तथ्यों की जानकारी रखते हुए हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्यावेदिका ने मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 08.06.2021 को स्वयं अपनी नियुक्ति से संबंधित विवरण सम्प्रेषित करते हुए सभी सूचना सही होने का प्रमाण पत्र दिया है। प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 09.07.2021 को पुनः मानव संपदा पोर्टल पर हस्ताक्षर करते हुए स्वप्रमाणित किया है, जिसमें भी नियुक्ति तिथि 14.03.2020 दर्शायी गयी है। प्रत्यावेदिका ने दिनांक 14.03.2020 को ही पदभार ग्रहण किया है, जबकि विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) ने दिनांक 03.03.2020 को पदभार ग्रहण किया है, जिससे वरिष्ठता निर्धारण पूर्णतः विधिसम्मत है और निरन्तर प्रत्यावेदिका ने इस तथ्य को अपने आचरण व पत्रों के द्वारा स्वीकार किया है कि उनकी नियुक्ति दिनांक 03.03.2020 को नहीं अपितु दिनांक 14.03.2020 को हुई है अतएव प्रत्यावेदिका का प्रत्यावेदन खण्डित किया जाये।

5. विश्वविद्यालय की आख्या में मुख्यतः यह उल्लेख है कि प्रत्यावेदिका एवं विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) की परस्पर वरिष्ठता को निर्धारित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या के उपरान्त अधिनियम व परिनियम के आलोक में विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 16.06.2023 निर्गत किया गया है। प्रत्यावेदिका तथा डॉ0 स्वर्णा की महाविद्यालय में नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा की गयी है। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार प्रत्यावेदिका की नियुक्ति तिथि दिनांक 14.03.2020 तथा डॉ0 स्वर्णा की नियुक्ति तिथि दिनांक 03.03.2020 है। विश्वविद्यालय, प्रत्यावेदिका तथा विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) का नियोक्ता नहीं है। महाविद्यालय शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र ही प्रत्यावेदिका व अन्य कार्यरत शिक्षकों का नियोक्ता है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी माह मार्च व अप्रैल, 2020 से संबंधित वेतन पंजिका के उद्धरण के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदिका द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया कि उनकी नियुक्ति महाविद्यालय में दिनांक 14.03.2020 से ही की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही तथ्यों के गुण–दोष के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा

सकारण आदेश पारित किया गया था। परिनियम 18.13(1) के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्यावेदिका तथा विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) की नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा की गयी है न कि किसी चयन समिति द्वारा। अतएव परिनियम 18.10.(ई) में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार विपक्षी डॉ0 स्वर्णा ही प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ है। इन दोनों शिक्षकों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा नहीं की गयी है बल्कि उच्च शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की गयी है।

6. विपक्षी डॉ0 स्वर्णा द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध प्रत्यावेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में मुख्यतः उल्लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 16.06.2023 एक गैर–सकारण एवं गैर–आख्यापक लघु आदेश है, जो विधि की दृष्टि से ग्राहय् नहीं है। परिनियम 18.13(1), मा0 उच्च न्यायालय एवं कुलाधिपति द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार एक ही विज्ञापन से चयनित एक ही विषय/विभाग में नियुक्त सहायक आचार्यों की पारस्परिक वरिष्ठता, चयन परिणाम योग्यता कम में होती है तथा इस अवस्था में नियुक्ति तिथि/कार्यभार ग्रहण तिथि वरिष्ठता निर्धारण में निरर्थक है। प्रत्यावेदिका की कार्यभार ग्रहण तिथि में संशोधन निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2020 की समता एवं समान प्रयोज्यता के आधार पर है। प्रत्यावेदिका द्वारा योजित रिट याचिका ए–13286/2023 में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 में यह उल्लेख है कि प्रतिवादी संख्या–6 (डॉ0 स्वर्णा) को विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 16.06.2023 के आधार पर वरिष्ठता का अनुचित लाभ मिल रहा है। याचिका में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–6 के अधिवक्ता उपस्थित थे, जिनके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) का दिनांक 03.03.2020 का कार्यभार ग्रहण तथा वेतन भुगतान, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2020 के निर्देशों के प्रतिकूल तथा प्रत्यावेदिका से भेदभावपूर्ण है। प्रत्यावेदिका को दिनांक 03.03.2020 को जारी किया गया, कार्यभार ग्रहण पत्र महाविद्यालय की प्राचार्या के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित आख्या दिनांक

28.04.2023 के प्रस्तर–3 में निरस्त बताया गया है, जो पूर्णतया अवैध तथा अन्यायपूर्ण है।

7. विपक्षीगण, प्राचार्या एवं सचिव, प्रबन्ध समिति द्वारा प्रकरण में प्रेषित एक–समान आख्याओं के विरुद्ध प्रत्यावेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में मुख्यतः उल्लेख है कि महाविद्यालय के सचिव द्वारा जारी नियुक्ति पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा प्रत्यावेदिका को नियुक्त किया गया और प्रत्यावेदिका को उसी तिथि 03.03.2020 को महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा कार्यभार ग्रहण पत्र जारी किया गया था। फलस्वरूप निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2020 (यह आदेश दोनों अभ्यर्थियों अर्थात प्रत्यावेदिका और विपक्षी पर समान रूप से लागू था) के निर्देश में दिनांक 03.03.2020 का कार्यभार ग्रहण पत्र जारी रहते हुये भी दिनांक 14.03.2020 को पुनः कार्यभार ग्रहण कराया गया, परन्तु विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) को दुबारा कार्यभार नहीं ग्रहण कराया गया, जो न्यायसंगत नहीं है। महाविद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 14.07.2021 में प्रत्यावेदिका के उपस्थिति के हस्ताक्षर बैठक प्रारम्भ होने से पहले उपस्थिति शीर्षक के नीचे कराये गये तथा प्रत्यावेदिका को बैठक से बाहर कर दिया गया। प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 में प्रत्यावेदिका के हस्ताक्षर बैठक प्रारम्भ होने से पहले लेकर प्रत्यावेदिका को बाहर कर दिया गया तो प्रत्यावेदिका द्वारा पत्र दिनांक 18.07.2023 द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी, आपत्ति पर हैरान करने वाला उत्तर महाविद्यालय के सचिव के पत्र दिनांक 01.08.2023 द्वारा दिया गया, जिसके प्रस्तर–4 में लिखा था कि ऐसे बाहर करना महाविद्यालय की परम्परा है, किन्तु कोई नियम का उल्लेख नहीं किया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

8. प्रत्यावेदिका द्वारा विश्वविद्यालय की आख्या के विरुद्ध प्रेषित प्रत्युत्तर में मुख्यतः उल्लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से पदानुक्रम में उच्च होने पर भी प्रत्यावेदिका के हितों एवं अधिकारों के विपरीत विश्वविद्यालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 जारी किया गया है, जो एक लघु आदेश है। प्रत्यावेदिका द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत

शिकायत/आपत्ति आवेदन दिनांक 02.02.2023 में उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2020 में दिये गये निर्देशों को महाविद्यालय द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किये जाने का संज्ञान कराये जाने के बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा एक लघु आदेश पारित कर दिया गया है, जो विधि की दृष्टि में ग्राह्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों/तथ्यों के आधार पर प्रत्यावेदिका द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 16.06.2023 को निरस्त किये जाने तथा स्वयं को वरिष्ठ घोषित किये जाने, विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के तथ्य विधि के विपरीत होने के कारण खण्डित किये जाने तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में गठित समिति द्वारा प्रत्यावेदिका व अन्य सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये वरिष्ठता का निस्तारण किये जाने का उल्लेख किया गया है।

9. विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण में निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 अवलोकनीय है जो निम्नवत् है:

"मा0 कुलपति महोदया के आदेशानुसार मुझे आपसे यह कहने निदेश हुआ है कि श्रीमती मीनू शर्मा, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग एवं डॉ0 स्वर्णा, अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु गठित जॉच समिति के आख्यानुसार डॉ0 स्वर्णा को श्रीमती मीनू शर्मा से वरिष्ठ घोषित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।'

10. प्रकरण में, पूर्व निर्गत कुलाधिपति आदेश संख्याःई–3409/जी0एस0, दिनांक 02.07.2020 अवलोकनीय है जो निम्नवत् है :

"25. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त निर्णयज विधि के अनुसार प्रत्यावेदक एवं विपक्षी के मध्य ज्येष्ठता का निर्धारण परिनियम 17.04(1) के अनुसार सम्बन्धित चयन सूची में दर्शित योग्यता कम में किया जाना चाहिए था न कि परिनियम 17.10 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि से। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी चयन सूची में प्रत्यावेदक का कमांक चयन 13 पर तथा विपक्षी का चयन कमांक 32 पर हुआ था अतः परिनियम 17.14(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यावेदक को विपक्षी से वरिष्ठ घोषित किया जाना ही विधिसम्मत था। उक्त

के आलोक में प्राचार्य के आदेश दिनांक 29.01.2019 को सम्पुष्ट करने वाला विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 06.02.2019 विधिविरुद्ध होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता।

26. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिनियमावली के परिनियम 17.10 एवं 17.14(1) में से कौन से प्रावधान लागू होगा, इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय की सवंधिान पीठ द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि के.एम. नानावती प्रति स्टेट ऑफ बॉम्बे (अब महाराष्ट्र), एआईआर 1961 एससी 112 अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि विधि/अधिनियम के दो प्रावधानों में विरोधाभास होने की दशा में पश्चात्‌वर्ती प्रावधानों का अधिभावी होना तथा उक्त पश्चात्‌वर्ती प्रावधानों को लागू किया जाना ही निर्वचन का स्थापित नियम है। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय की उक्त निर्णयज विधि में अवधारित पश्चात्‌वर्ती प्रावधानों के अधिभावी होने तथा उन्हें लागू किये जाने सम्बन्धी निर्वचन के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार परिनियम 17.14(1) के पश्चात्‌वर्ती प्रावधान परिनियम 17.10 के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर अधिभावी होंगे अतः प्रत्यावेदक एवं विपक्षी के मध्य वरिष्ठता विवाद का निस्तारण परिनियम 17.14(1) के अनुसार ही किया जाना चाहिए।......"

11. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–47 के कम में अंग्रेजी विषय के सहायक आचार्य पद पर चयन प्रक्रिया के उपरान्त निर्गत चयन परिणाम सूची दिनांक 13.11.2019 जारी की गयी, जिसमें प्रत्यावेदिका श्रीमती मीनू शर्मा कमांक–12 पर तथा विपक्षी डॉ0 स्वर्णा क्रमांक–104 पर चयनित हुईं। महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रत्यावेदिका द्वारा दिनांक 03.03.2020 को तथा विपक्षी डॉ0 स्वर्णा द्वारा भी उसी दिनांक 03.03.2020 को ही उक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के पत्रादेश दिनांक 05.03.2020 के माध्यम से महाविद्यालयों के प्रबंधक/प्राचार्य को विज्ञापन संख्या–47 के माध्यम से अंग्रेजी और अन्य कुछ विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को संयुक्त निदेशक से प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराये जाने तथा वेतन भुगतानादि के निर्देश दिये गये, जो प्रत्यावेदिका व विपक्षी दोनों पर लागू थे, किन्तु महाविद्यालय द्वारा आदेश दिनांक 05.03.2020 के अनुपालन में प्रत्यावेदिका को दिनांक 14.03.2020 को दुबारा कार्यभार ग्रहण कराया गया जबकि

विपक्षी डॉ0 स्वर्णा को दिनांक 03.03.2020 से ही सतत रखा गया। प्रत्यावेदिका के कथनानुसार, महाविद्यालय द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि निदेशक के आदेश दिनांक 05.03.2020 के अनुसार उपर्युक्त कार्यवाही प्रत्यावेदिका और विपक्षी डॉ0 स्वर्णा पर समान रूप से लागू की जायेगी किन्तु उक्त कार्यवाही विपक्षी पर नहीं लागू किये जाने से प्रत्यावेदिका एवं विपक्षी के मध्य वरिष्ठता विवाद उत्पन्न हुआ। महाविद्यालय द्वारा तैयार करायी गयी वरिष्ठता सूची दिनांक 28.04.2022 में विपक्षी का कार्यभार ग्रहण दिनांक 03.03.2020 एवं प्रत्यावेदिका का कार्यभार ग्रहण तिथि दिनांक 14.03.2020 के अनुसार, विपक्षी को क्रमांक–15 एवं प्रत्यावेदिका को क्रमांक–16 पर रखते हुए विपक्षी डॉ0 स्वर्णा को प्रत्यावेदक से वरिष्ठ घोषित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा भी, प्रकरण में गठित समिति की आख्या के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 के द्वारा विपक्षी को प्रत्यावेदिका से वरिष्ठ घोषित किया गया।

12. प्रकरण से सुसंगत, सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अध्यापकों की ज्येष्ठता से संबंधित परिनियम के सुसंगत प्रावधान निम्नवत् हैं :

"18.10(c) The Seniority of Principals and teachers of the affiliated colleges shall be determined by the length of continuous service from the date of appointment in substantive capacity.

18.10(d) Service in each capacity (for example, as Principal or as a teacher), shall be counted from the date of taking charge pursuant to substantive appointment.

18.10(e) Service in a substantive capacity in another University or another degree or post graduate college whether affiliated to or associated with the University or another University established by law shall be added to his length of service.

*18.13(1) When two or more persons are appointed as teachers in the same department or in the same subject, their relative seniority shall be determined in order of preference or **merit in which their names were recommended by the Selection Committee.***

(2) If the seniority of two or more teachers has been determined under clause (1), the same shall be communicated to the teachers concerned before their appointment.

18.14. All disputes regarding seniority of teachers (other than the Principal), shall be decided by the Principal of the College who shall give reasons for the decision. Any teacher aggrieved with the decision of the Principal may prefer an appeal to the Vice-Chancellor within 60 days from the date of communication of such decision to the teacher concerned. If the Vice-Chancellor disagrees from the Principal, he shall give reasons for such disagreement."

13. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत रिट ए संख्या 21315/2014 रमाकान्त बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2014 *का सुसंगत अंश अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत् अवधारित किया गया है :*

"13. *"The question is as to whether it is the date of placement or the date of joining that would be relevant for the purpose of determination of seniority. There is no other rule or provision contained under the 1980 Act so as to consider the seniority inter se of teachers appointed in the degree colleges that has to be determined in terms of the Statutes that have been framed by the University to which the college is affiliated. There is no dispute that the Statutes, referred to above, are applicable and the issue has to be answered accordingly considering as to whether Statute 17.10 would apply or statute 17.14(1) of the Statutes would be applicable for determination of seniority.*

14. In our considered opinion, the contention of Shri Khare, as noted above to the effect that the seniority of the contesting private parties is to be determined as per Statute 17.10 and not 17.14(1), and that the placement after the merit list is prepared at the time of selection could not be the determining factor, cannot be accepted, as, in the instant case, all contesting private parties, including the petitioner, were appointed on the same nature of post of lecturer in the same subject of Education (B.Ed.) on the basis of the same selection and in view of the clear and unambiguous language of Statute 17.14(1) in such an eventuality, the seniority inter se of such persons

appointed at the same time has to be determined ***as per merit in the order in which their names find mention in the merit list as recommended by the Selection Commission****. In view of the provisions of Statute 17.14(1), no other conclusion can be reasonably drawn.*

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त निर्णयज विधि के अनुसार प्रत्यावेदिका एवं विपक्षी के मध्य ज्येष्ठता का निर्धारण परिनियम 18.13(1) के अनुसार संबंधित चयन सूची में दर्शित योग्यता कम में किया जाना चाहिए था न कि परिनियम 18.10 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या–47 के कम में जारी योग्यताकम/चयन परिणाम सूची में प्रत्यावेदिका का चयन कमांक–12 पर तथा विपक्षी का चयन कमांक–104 पर हुआ था अतः परिनियम 18.13(1) के प्रावधानों के अनुसार आयोग की चयन सूची में प्रत्यावेदिका को कमांक–12 पर संस्तुत किये जाने के दृष्टिगत प्रत्यावेदिका को विपक्षी से वरिष्ठ घोषित किया जाना ही विधिसम्मत था, तदनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 16.06.2023 विधि विरुद्ध होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

14. उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदिका व विपक्षी द्वारा दिनांक 03.03.2020 को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त, निदेशक, उच्च शिक्षा सेवा आयोग के पत्रादेश दिनांक 05.03.2020, जो प्रत्यावेदिका व विपक्षी दोनों पर समान रूप से लागू होता है, के समादर में प्रत्यावेदिका को दिनांक 14.03.2020 को पुनः कार्यभार ग्रहण कराया गया, जबकि विपक्षी को नहीं, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त वरिष्ठता विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रकरण के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा समान प्रकरण में संकाय सदस्यों के साथ भिन्न–भिन्न मानदण्ड अपनाते हुए जानबूझकर प्रत्यावेदिका को उसकी वरिष्ठता से वंचित किया जा रहा है जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत प्रदत्त समानता, लोक सेवायोजन में अवसर की समता एवं विधि के शासन की भावना का स्पष्ट उल्लंघन एवं मनमानेपन (arbitrariness) का द्योतक है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य,**

एआईआर 1974 एससी 555 एवं मानेका गॉधी बनाम भारत संघ, एआईआर 1978 एससी 597 में यह अवधारित किया गया है कि "*In fact equality and arbitrariness are sworn enemies, one belongs to the rule of law in a republic while the other, to the whim and caprice of an absolute monarch. Where an act is arbitrary it is implicit in it that it is unequal both according to political logic and constitutional law is therefore violative of Art. 14, and if it affects any matter relating to public employment, it is also violative of Art. 16. Arts. 14 and 16 strike at arbitrariness in State action and ensure fairness and equality of treatment. They require that State action must be based on valent relevant principles applicable alike to all similarly situate and it must not be guided by any extraneous or irrelevant considerations because that would be denial of equality.*" जिसके आलोक में प्रत्यावेदिका के प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 स्वीकार्य नहीं है एवं विधि की दृष्टिगत में ग्राह्य नहीं है।

15. विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश एक लघु आदेश है जिसके समर्थन में पर्याप्त कारण/विवेचन अभिलिखित नहीं किये गये हैं। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियॉ **यूनियन आफ इण्डिया बनाम इब्राहिम उद्दीन, (2012) 8 एससीसी 148, स्टेट आफ राजस्थान बनाम रोहितास एवं अन्य, 2008 (61) एसीसी 678 (एससी), रन सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाना,2008 (62) एसीसी 848 (एससी), राज किशोर झा बनाम स्टेट आफ बिहार एवं अन्य, 2003(4) एसीसी 1068 (एससी)** अवलोकनीय हैं जिनमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि उचित एवं न्याय संगत प्रशासनिक एवं न्यायिक आदेशों एवं निर्णयों के समर्थन में संबंधित प्राधिकारी द्वारा कारण अभिलिखित किया जाना आवश्यक है और ऐसे कारण अभिलिखित न किया जाना विधिविरूद्ध एवं अन्यायपूर्ण है। विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 के समर्थन में स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण अभिलिखित नहीं किया गया

है, अतएव विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत लघु आदेश दिनांक 16.06.2023 विधि की दृष्टि में ग्राह्य न होने के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

16. उपर्युक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा दिनांक 03.03.2020 को प्रत्यावेदिका व विपक्षी के कार्यभार ग्रहण के उपरान्त, निदेशक, उच्च शिक्षा सेवा आयोग के आदेश दिनांक 05.03.2020, जो प्रत्यावेदिका व विपक्षी दोनों पर समान रूप से लागू होता है, के समादर में प्रत्यावेदिका को दिनांक 14.03.2020 को पुनः कार्यभार ग्रहण कराया गया जबकि विपक्षी को नहीं। सम्बन्धित विज्ञापन संख्या–47 के कम में निर्गत योग्यताकम/चयन परिणाम सूची में कमांक–12 पर अंकित प्रत्यावेदिका एवं कमांक–104 पर अंकित विपक्षी डॉ0 स्वर्णा द्वारा महाविद्यालय में एक ही विषय, एक ही विभाग व एक ही दिनांक में नियुक्त/कार्यभार ग्रहण किया गया है। प्रत्यावेदिका के कार्यभार ग्रहण प्रार्थना–पत्र पर महाविद्यालय में उसका कार्यभार ग्रहण दिनांक 03.03.2020 को ही "अलाउड" किया गया है। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा दिनांक 28.04.2022 को निर्गत वरिष्ठता सूची में कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर विपक्षी को कमांक–15 पर एवं प्रत्यावेदिका को कमांक–16 पर स्थापित किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है जिससे स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदिका तथा विपक्षी (डॉ0 स्वर्णा) की नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा किये जाने न कि किसी चयन समिति द्वारा, का उल्लेख करते हुए परिनियम 18.13(1) की समुचित व्याख्या व उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रत्यावेदिका द्वारा अपनी कार्यभार ग्रहण दिनांक 14.03.2020 स्वीकार किया जाना अथवा अभिलेखादि में इसका उल्लेख किया जाना महत्वहीन है।

17. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिगत प्रत्यावेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.06.2023 निरस्त किया जाना तथा परिनियम 18.13(1) एवं उपर्युक्त संप्रेक्षण (observations) के आलोक में, आठ सप्ताह की अवधि में, सकारण आदेश के

माध्यम से प्रत्यावेदिका व विपक्षी के मध्य उत्पन्न वरिष्ठता–विवाद का विधिसम्मत निस्तारण किये जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद को निर्देशित किया जाता है।

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डॉ0 मीनू शर्मा, सहायक आचार्य, 444, पी0एल0 शर्मा रोड, किंग बेकरीज के पास, बेगम ब्रिज, मेरठ–250001.
2. डॉ0 स्वर्णा, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग, इस्माईल नेशनल महिला पी0जी0 कॉलेज, मेरठ।
3. सचिव, इस्माईल नेशनल महिला पी0जी0 कॉलेज, मेरठ।
4. प्राचार्या, इस्माईल नेशनल महिला पी0जी0 कॉलेज, मेरठ।
5. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

Issue Sri Ramesh-I

10-06-25

10/06/25

11/06/25

11.06.25